1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी – हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस.

मु0 नं0 – 49/2019
प्रकरण दर्ज – 11.6.2019
प्रकरण निस्तारण – 21.1.2020

अनुवानी प्रकरण

1. ख्याली पुत्र गुलाब
2. फूलबाई पत्नी ख्याली
समस्त जाति मीना निवासी चांदेरा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।

– वादीगण

बनाम

1. किशेरी पुत्र गुलाब जाति मीना निवासी चांदेरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. यूको बैंक शाखा मानुपर तहसील सिकराय।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा

निर्णय दिनांक –21.1.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 610,628,844,849,849/1253,850,851,851/1258,1179 कुल किता 9 रकबा 1.9100 है0 वाके रामा चांदेरा कालवान तहसील सिकराय मे स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे दावा तकास्मा का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7.8.2019 को वाके रामा चांदेरा तहसील सिकराय मे स्थित खसरा नंबर 610,628,844,849,849/1253,850,851,851/1258,1179 कुल किता 9 रकबा 1.9100 है0 संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमाबन्दी के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। मुताबिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार सिकराय को कुरेजात तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सिकराय ने उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन के सम्बन्ध मे अपने पत्रांक भू.अ./2020/97 दिनांक 14.1.2020 द्वारा कुरेजात पेश किये। बटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना गया। बटवारा रिपोर्ट सही होना पाया गया। मुताबिक कुरेजात वकील वादी ने बटवारा दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील वादी की बहस का मनन किया एवं पत्रावली व कुरेजात का अवलोकन किया। इस प्रकरण मे तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुरेजात बटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावां अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Scanned by CamScanner

अतः आदेश है कि तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 628 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 610 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 844 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 849/1 रकबा 0.03 है0, 849/1253 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 850 रकबा 0.12 है0 खसरा नंबर 851 रकबा 0.22 है0 खसरा नंबर 851/1258 रकबा 0.01 है0 खसरा नंबर 1179 रकबा 0.49 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि ख्याली पि0 गुलाब हिस्सा 1/2 फूलबाई पत्नी ख्याली हिस्सा 1/2 राहिन यूको बैंक मानुपर सा.देह खातेदार हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 628/1 रकबा 0.05 है0 खसरा नंबर 610/1 रकबा 0.08 है0 खसरा नंबर 849 रकबा 0.25 है0 खसरा नंबर 1179/1 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 है0 भूमि किशोरी पुत्र गुलाब सा. देह खातेदार हिस्सा रहेगा। कुरेजात डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/1/2020

उपखण्ड अधिकारी

हरिताभ कुमार आदित्य

सिकराय जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी सिकराय।

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 312402

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत ....

ब इजलास .... मुकाम ....

.... बनाम ....

दावा बाबत ....

मुकदमा नं. .... सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....

व हाजिरी ....

.... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

....

निज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... फीसदी ...ना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ... 21-1-20 ... माह .... सन् .... को

जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प ...ह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

Scanned by CamScanner